न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील/एल.आर./6658/2006/सवाईमाधोपुर

मोती पुत्र श्री हजारी जाति माली निवासी ग्राम अमरगढ तहसील गंगापुर सिटी जिला सवाईमाधोपुर

———अपीलांट

बनाम

10— राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार गंगापुर सिटी

——रेस्पोडें

एकल पीठ
श्री मोहन लाल नेहरा, सदस्य

उपस्थितः—
श्री अशोक नाथ अभिभाषक अपीलांट्स
श्री वीरेन्द्र सिंह पंवार उप राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेंट

निर्णय

दिनांकः 31.12.2018

यह द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाईमाधोपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 4—8—2006 के विरुद्व प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा विद्वान अपील अधिकारी ने अपने समक्ष जैरकार अपील संख्या 208/2004 शीर्षक मोती बनाम सरकार को खारिज किया है।

2— अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि आराजी खसरा नम्बर 16/1 बीघा 15 बिस्वा, 43/1.10 बिस्वा का आवंटन दिनांक 31—12—75 को अपीलांट के पक्ष में आवंटन कमेटी ने किया जिसमें से खसरा नंबर 16 के आवंटन को तहसीलदार गंगापुर सिटी ने अतिरिक्त कलक्टर के यहॉ चैलेंज किया और अतिरिक्त कलक्टर सवाई माधोपुर ने आदेश दिनांक 21—5—03 से तहसीलदार की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र को स्वीकार कर अपीलांट के पक्ष में हुए आवंटन को निरस्त कर दिया जिसके विरुद्ध अपीलांट ने अपील संख्या 91/03 न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर के समक्ष पेश की जिसे विद्वान राजस्व अपील अधिकारी द्वारा अपने निर्णय दिनांक 27—1—04 के द्वारा आंशिक स्वीकार कर प्रकरण को रिमाण्ड कर दिया , रिमाण्ड होने पर अति. कलक्टर सवाई माधोपुर ने अपने आदेश दिनांक 27—10—04 से आराजी खसरा नंबर 16 हाल नम्बर 38 रकबा 0.16 के आवंटन को निरस्त कर दिया , जिसके विरुद्ध पुनः अपील राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर के समक्ष प्रस्तुत की गयी। विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर ने अपने निर्णय दिनांक 4—8—06 के द्वारा अपील को सारहीन पाये जाने से खारिज कर अतिरिक्त कलक्टर

सवाई माधोपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27–10–04 की पुष्टि की गयी। जिसके विरुद्ध यह द्वितीय अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।

3– अपील पर उभयपक्षकारों के विद्वान अभिभाषकगण को सुना गया।

4– विद्वान अभिभाषक अपीलांट की मुख्य बहस यह है कि अतिरिक्त जिला कलक्टर सवाई माधोपुर ने राजस्व अपील अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा पारित रिमाण्ड आदेश की पालना किये बिना ही पुनः अपीलांट का आवंटन खारिज करने में कानूनी भूल की है जबकि राजस्व अपील अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 27–1–04 में अतिरिक्त जिला कलक्टर को यह स्पष्ट निर्देश दिये थे कि आवंटित रकबे की मौके की पूर्ण जॉच की जाकर पुनः विधिवत रुप से आदेश पारित करे, जिसकी पालना में विद्वान अतिरिक्त जिला कलक्टर सवाई माधोपुर ने स्वयं अपने स्तर पर कोई जॉच नही की और न ही ऐसी कोई जॉच रिपोर्ट पत्रावली पर ही उपलब्ध है फिर भी विद्वान अतिरिक्त जिला कलक्टर सवाई माधोपुर ने स्वयं द्वारा दिनांक 13–10–04 को मौके की जॉच करना बताते हुए एवं हाल खसरा नुंबर 38 रकबा 0.16 हैक्टर पर कोई फसल काश्त नही होना बताते हुए अपीलांट का आवंटन निरस्त करने में कानूनी त्रुटि की है। उनका यह भी तर्क है कि दोनो अधीनस्थ न्यायालयों ने विवादित आराजी खसरा नंबर 38 रकबा 0.16 हेक्टर के अधिकांश भाग रास्ते के काम आना मानते हुए तथा इसके सहारे आबादी में एक पक्का कुवा बना हुआ मानते हुए अपीलांट का आवंटन निरस्त करने में कानूनी त्रुटि की है, जबकि आवंटित शुदा भूमि में कोई रास्ता दर्ज नही है और अधिकांश भूमि काबिल काश्त है फिर भी उक्त कारण पुराने आवंटन को निरस्त करने का कोई ठोस कारण नही हो सकता है। अन्त में अपील स्वीकार कर दोनो अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों को निरस्त कर अपीलांट के आवंटन आदेश को बहाल रखे जाने का निवेदन किया।

5– इसके विपरीत विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने बताया कि आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नही की गयी है और इसी आधार पर नियम 14(4) के तहत तहसीलदार गंगापुर सिटी द्वारा प्रार्थनापत्र पेश किया है। प्रकरण में सम्बन्धित तहसीलदार से दो बार मौका रिपोर्ट मंगवाई गयी है और दोनो ही रिपोर्टस में मौके पर आवंटित आराजी पर काश्त नही होना बताया है। न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी के द्वारा जो रिमाण्ड आदेश पारित किया है उसकी पालना में स्वयं अति. कलक्टर के स्तर पर मौका निरीक्षण किया गया है और दिनांक 13–10–04 को उन्होने स्वयं ने आराजी कृषि उपयोग में नही आना बताया है और रास्ते के काम आना बताया है। स्पष्ट है कि अपीलांट / आवंटी द्वारा आवंटन

नियमों की पालना नही की गयी है और इसी आधार पर विद्वान अतिरिक्त जिला कलक्टर सवाई माधोपुर ने आवंटी /अपीलांट का आवंटन खारिज कर कोई कानूनी त्रुटि नही की है।

6— दोनो पक्षो के विद्वान अभिभाषकगण की ओर से की गयी बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

7— पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नही की गयी है और इसी आधार पर नियम 14(4) के तहत तहसीलदार गंगापुर सिटी द्वारा प्रार्थनापत्र पेश किया है। प्रकरण में सम्बन्धित तहसीलदार से दो बार मौका रिपोर्ट मंगवाई गयी है और दोनो ही रिपोर्टस में मौके पर आवंटित आराजी पर काश्त नही होना बताया है। विद्वान राजस्व अपील अधिकारी के द्वारा जो रिमाण्ड आदेश पारित किया है उसकी पालना में स्वयं अति. कलक्टर के स्तर पर मौका निरीक्षण किया गया है और दिनांक 13—10—04 को उन्होने स्वयं ने आराजी कृषि उपयोग में नही आना बताया है और आवंटित भूमि रास्ते के काम आना बताया है। दिनांक 20—7—04 को जो रिपोर्ट तहसीलदार गंगापुर सिटी ने दी है उसमें भी यही बताया है कि खसरा नम्बर 38 रकबा 0.16 हैक्टर का अधिकांश भाग रास्ते के काम आ रहा है तथा इसके सहारे एक पक्का कूआ बना है। यह रकबा कृषि प्रयोजनार्थ कार्य नही आ रहा है। अतः प्रकरण के समग्र रुप से आवलोकन के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुचते है कि आराजी साबिक नम्बर 16 के हाल बने खसरा नंबर 38 रकबा 0.16 हेक्टर पर अपीलांट/आवंटी का किसी प्रकार का कब्जा काश्त नही है और विवादित आराजी कृषि प्रयोजनार्थ उपयोग में नही आ कर दीगर कार्य में आ रही है। स्पष्ट है कि अपीलांट/आवंटी द्वारा आवंटन नियमों की पालना नही की गयी है और इसी आधार पर विद्वान अतिरिक्त जिला कलक्टर सवाई माधोपुर ने आवंटी /अपीलांट का आवंटन खारिज कर कोई कानूनी त्रुटि नही की है तथा अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27—10—04 के विरुद्ध प्रथम अपील राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर के समक्ष पेश होने पर उन्होने भी अपने निर्णय दिनांक 4—8—06 के द्वारा आवंटी/अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील को खारिज कर अतिरिक्त कलक्टर सवाई माधोपुर द्वारा पारित निर्णय को यथावत रखा गया है। दोनो अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय समवर्ती , विस्तृत निर्णय है, समवर्ती निर्णयों में हस्तगत अपील के माध्यम से किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नही समझते है, लिहाजा यह अपील सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है।

8. अतः उपरोक्त विवेचन के प्रकाश में यह द्वितीय अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। अतिरिक्त कलक्टर, सवाई माधोपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27–10–2004 एवं राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 4–8–2006 यथावत रखे जाते है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मोहन लाल नेहरा)

सदस्य